इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2015—चैत्र 4, शक 1937

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7—19/2014/29—1 चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि मध्यप्रदेश के पात्र गृहस्थियों को जारी किए गए राशनकार्डों पर नियंत्रित मूल्य पर, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक और समीचीन है :

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय(नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग) के एस.ओ.. 681 (ई) तथा 682 (ई) दोनों दिनांक 30 नवम्बर, 1974 और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित आदेश करती है:—

आदेश

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ.–

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.– (1) इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"अपमिश्रण"** से अभिप्रेत है, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के साथ निम्न गुणवत्ता श्रेणी की सदृश वस्तुओं अथवा अन्य बाह्य वस्तुओं का मिश्रण करना;

(ख) **"आबंटिती संस्था"** से अभिप्रेत है, कोई संस्था जिसे संचालन हेतु उचित मूल्य की दुकान आवंटित की गई है;

(ग) **"अपील प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, संबंधित जिले का कलक्टर;

(घ) **"अधिकृत एजेंसी"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जिसमें मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा परिवहनकर्ता के साथ उनके प्राधिकृत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम अथवा विकेन्द्रीकृत उपार्जन स्टाक से खाद्यान्न, शक्कर तथा नमक का क्रय कर राज्य सरकार के प्रदाय केन्द्रों तक तथा बाद में उचित मूल्य दुकान तक परिवहन में लगे हुए हैं;

नीले केरोसीन की दशा में इससे अभिप्रेत है तेल कम्पनियां, थोक व्यापारी तथा उनके प्राधिकृत परिवहनकर्ता जिसमें उनके कर्मचारी/व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो आयल कम्पनियों के डिपो से उचित मूल्य की दुकान तक केरोसीन के परिवहन में लगे हुए हैं।

(ङ) **"केन्द्रीय आदेश"** से अभिप्रेत है, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियंत्रण आदेश;

(च) **"केन्द्रीय पूल"** से अभिप्रेत है, खाद्य सामग्रियों का भण्डारण जो –

(एक) न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त हुआ हो;

(दो) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत तथा ऐसी अन्य योजनाएँ सम्मिलित है;

के अधीन आबंटित किए जाने हेतु संधारित एवं आरक्षित रखा गया हो;

(छ) **"आयुक्त"** से अभिप्रेत है, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश;

(ज) **"व्यपवर्तन"** से अभिप्रेत है, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गोदाम से निर्गमित आवश्यक वस्तुओं का निर्दिष्ट हितग्राहियों से भिन्न व्यक्तियों/स्थानों को अनाधिकृत वितरण/परिवहन;

(झ) **"उचित मूल्य दुकान"** से अभिप्रेत है, ऐसी दुकान जिसे राशनकार्डधारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए इस आदेश के तहत प्राधिकार–पत्र जारी किया गया हो;

(ञ) **"उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए जिला आपूर्ति नियंत्रक अथवा जिला आपूर्ति अधिकारी तथा जिले के शेष क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व);

(ट) **"उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकार पत्र"** से अभिप्रेत है, इस नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए संस्था के पक्ष में उचित मूल्य दुकान आबंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र;

(ठ) **"खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन प्रावधानित राज्य/जिला/विकासखण्ड या उचित मूल्य दुकान स्तर पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति;

(ड) **"गृहस्थी का मुखिया"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का क्रमांक 20) की धारा 13 में परिभाषित व्यक्ति;

(ढ) **"गृहस्थी"** से अभिप्रेत है, पति, पत्नि, अवयस्क बच्चे तथा गृहस्थी के मुखिया पर जीविकोपार्जन हेतु आश्रित ऐसे अन्य सदस्य जो गृहस्थी के मुखिया के साथ निवासरत हों एवं उनका भोजन भी मुखिया की रसोई में ही तैयार होता हो;

(ण) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश, 1979 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण होने वाले केरोसीन के क्रय–विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण करने हेतु अनुज्ञप्त व्यक्ति/फर्म/संस्था;

(त) **"निर्गम केन्द्र"** से अभिप्रेत है, प्राधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित ऐसे केन्द्र या गोदाम जहां उचित मूल्य दुकानों पर प्रदाय हेतु आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जाता हो;

(थ) **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम"** से अभिप्रेत है, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10.09.2013 में प्रकाशित "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013";

(द) **"राशनकार्ड"** से अभिप्रेत है, पात्र गृहस्थी को जारी किया गया ऐसा भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक लिखत जो उचित मूल्य दुकान से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन हो;

(ध) **"राशनकार्ड प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है–उनके क्षेत्राधिकार में राशनकार्डों को जारी करने, उसमें संशोधन करने और वितरण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी;

(न) **"सामाजिक अंकेक्षण"** से अभिप्रेत है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मानीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(प) **"प्रतिस्थापन"** से अभिप्रेत है, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण हेतु निर्गम केन्द्र से प्रदाय आवश्यक वस्तुओं को, निम्न गुणवत्ता श्रेणी की सदृश आवश्यक वस्तुओं से स्थानापन्न करना;

(फ) **"लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली"** से अभिप्रेत है, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशनकार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनाई गई प्रणाली;

(ब) **"नगरीय क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, वे क्षेत्र जो नगरपालिक निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, केन्टोन्मेंट क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं;

(2) ऐसे अन्य शब्द तथा अभिव्यक्ति के जो इस आदेश में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही किए गए है, वहीं अर्थ होंगे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. पात्र गृहस्थी.– (1) अनुसूची–एक में उल्लिखित गृहस्थी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं की प्राप्ति हेतु पात्र गृहस्थी होंगे।

(2) राज्य सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची–एक में संशोधन कर सकेगी।

(3) पात्र गृहस्थियों की पहचान और सत्यापन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

4. **राशनकार्डों का जारी किया जाना–** (1) सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जो संबंधित क्षेत्र के राशनकार्ड प्राधिकारी होंगे, पात्र गृहस्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रुप में राशनकार्ड जारी करेंगे।

(2) राशन कार्ड केवल सत्यापित गृहस्थियों को ही जारी किया जाएगा।

(3) राशन कार्ड गृहस्थी की मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी :

परन्तु जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हैं तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया हो जाएगी।

(4) राशनकार्ड में मुखिया तथा उनके सदस्यों के नाम, आयु तथा आवास का पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा। राशनकार्ड, कार्डधारी के आवास के क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकान से संबद्ध किया जाएगा:

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र विशेष के लिए राशनकार्ड की किसी दुकान विशेष से संबद्ध करने के स्थान पर उस क्षेत्र के सभी उचित मूल्य की दुकानों से संबद्ध कर सकेगी।

(5) नवीन राशनकार्ड जारी करने अथवा राशन कार्ड में संशोधन करने की समयसीमा 15 दिवस एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने की 3 कार्य दिवस होगी।

(6) नवीन राशनकार्ड धारक अथवा संशोधन के साथ वर्तमान राशन कार्ड धारक अगले माह से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

(7) राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी राशनकार्ड जारी करने हेतु शुल्क विहित कर सकेगी।

5. **राशनकार्ड की वैधता, संशोधन एवं रद्द किया जाना.–** (1) राशनकार्ड तब तक वैध रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे समाप्त न घोषित किया जाए।

(2) राशनकार्डधारक द्वारा राशन कार्ड समर्पण करने की स्थिति में राशनकार्ड निरस्त हो जाएगा।

(3) राशन कार्ड प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक तथा उचित हो, राशनकार्डधारक को अपने कथन दर्ज कराने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राशनकार्ड में संशोधन/परिवर्तन कर सकेगा अथवा यदि आवश्यक हो तो इसे रद्द कर सकेगा। ऐसे सभी मामलों में मांग की जाने पर संबंधित उपभोक्ता राशनकार्ड प्रस्तुत करने के लिये दायित्वाधीन होगा।

(4) राशनकार्ड किसी पहचान–पत्र के रुप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(5) इस आदेश के अधीन जारी किया गया कोई राशनकार्ड, पात्र गृहस्थी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जाएगा। पात्र गृहस्थी, राशनकार्ड को सुरक्षित रखने के लिए स्वंय उत्तरदायी होगा।

6. **राशनकार्डधारी के कर्तव्य**– कोई भी व्यक्ति,–

(एक) एक से अधिक राशनकार्ड का उपयोग नहीं करेगा;

(दो) राशनकार्ड के लिए विहित आवेदन मे गलत ब्यौरे या जानकारी प्रस्तुत नही करेगा;

(तीन) राशनकार्ड में की गई प्रविष्टियों को जान–बूझकर स्वयं न तो परिवर्तित/विरुपित/नष्ट करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देगा।

7. **उचित मूल्य दुकानों की संख्या और स्थान**– (1) जिले के भीतर किसी नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों की अधिकतम संख्या की गणना सुनिश्चत करने के लिए उस नगरीय क्षेत्र के पात्र गृहस्थियों की कुल संख्या में 800 से भाग दिया जाएगा। उस नगरीय क्षेत्र में ऐसी संख्या से अधिक उचित मूल्य की दुकानें नहीं होगी।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान होगी। किसी पंचायत में पात्र गृहस्थियों की संख्या 800 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त दुकान खोली जा सकेगी:

परन्तु किसी पंचायत में एक अतिरिक्त दुकान खोली जाती है तो पात्र गृहस्थियों का विभाजन इस प्रकार होगा कि अतिरिक्त दुकान में पात्र गृहस्थियों की संख्या यथासंभव 400 से कम न हो।

(3) उचित मूल्य की दुकानों का स्थान संबंधित नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

8. **उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन.**– (1) उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी, अनुसूची–दो में उल्लिखित संस्थाओं/समूह के अलांवा अन्य किसी को उचित मूल्य दुकान आबंटित नहीं करेगा:

परंतु ऐसी किसी संस्था/समूह को उचित मूल्य दुकान आबंटित नहीं की जाएगी जिसे सक्षम प्राधिकारी ने खण्ड 13 के उल्लंघन का दोषी माना हो :

परंतु यह भी कि दोषी पदाधिकारियों को संस्था से पृथक् करने पर ऐसी संस्था को उचित मूल्य दुकान आबंटित की जा सकेगी।

(2) उचित मूल्य दुकान का आबंटन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। तीन वर्ष के पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर प्रत्येक बार तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा।

(3) उचित मूल्य की दुकान संचालन की इच्छुक पात्र संस्थाएं दुकान आबंटन प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित 'प्ररूप--क' में आवेदन करेंगी।

(4) कोई संस्था अपने कार्यक्षेत्र से बाहर स्थित दुकान के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगी।

(5) एक उचित मूल्य दुकान के लिए एक से अधिक पात्र संस्थाओं के आवेदन प्राप्त होने पर दुकान आबंटन प्राधिकारी, कण्डिका 8 के अध्यधीन रहते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉट के द्वारा संस्था का चयन करेगा।

(6) उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकार--पत्र, दुकान आबंटन प्राधिकारी द्वारा 'प्ररुप--ख' में जारी किया जाएगा।

(7) नगरीय एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के लिए प्रत्येक दुकान के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि 5,000 रूपये प्रति दुकान होगी।

(8) उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी आवश्यक जांच, जैसी कि उचित समझे, करने के पश्चात रजिस्टर तथा प्राधिकार पत्र में तद्नुसार परिवर्तन करेगा।

(9) किसी नगरीय क्षेत्र में एक सहकारी सोसाइटी/संस्था को एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान का आबंटन नहीं किया जाएगा।

(10) उचित मूल्य दुकान आबंटन की इच्छुक आवेदक सोसाइटी/संस्था के पास एक माह की आबंटन सामग्री प्राप्त करने के लिए पर्याप्त राशि/साख--सीमा उपलब्ध होनी चाहिए।

(11) आवेदक सोसाइटी/संस्था के पास एक माह के आबंटन के समतुल्य सामग्री के भंडारण एवं वितरण के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

9. उचित मूल्य दुकानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी.-- (1) किसी जिले के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में, यथासंभव, एक--तिहाई उचित मूल्य दुकानें महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी। ऐसी उचित मूल्य दुकान की विक्रेता भी महिला ही होगी।

टिप्पणः-- ऐसी संस्था को महिलाओं की संस्था समझा जाएगा जिसके सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण महिलाएं हों।

(2) इस नियंत्रण आदेश के प्रवृत्त होने के तीन माह के भीतर उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार महिलाओं की संस्थाओं को उचित मूल्य दुकान आवंटित करेगा।

10. उचित मूल्य दुकानों का संचालन-- (1) उचित मूल्य दुकान का संचालन आबंटिती सहकारी सोसाइटी/संस्था द्वारा स्वयं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक विक्रेता, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बारहवीं उत्तीर्ण होगी, नियुक्त किया जाएगा :

परंतु यदि बारहवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो भारत के संविधान की अनुसूची 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों के विकासखंडों में, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं उत्तीर्ण व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। आबंटिती सहकारी सोसाइटी, विक्रेता की नियुक्ति के लिए अपने मापदण्ड अवधारित कर सकेगी किन्तु उसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बारहवीं पास से कम नहीं होगी :

परंतु यह कि आबंटिती संस्था, किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता नियुक्त नहीं करेगी जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा खण्ड 13 के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो :

परन्तु यह भी कि 400 से कम पात्र गृहस्थियों की संख्या वाली पंचायतों में यदि नई दुकान खोली गई है तो किसी अन्य समीप की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा सकेगी।

(3) उचित मूल्य दुकानों के खुलने तथा बंद करने का समय संबंधित नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा निश्चित किया जाएगा किंतु उचित मूल्य की दुकान रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के सिवाय न्यूनतम 6 घंटे प्रतिदिन खुली रहेगी :

परंतु जहां उपधारा 2 में यथा उल्लिखित एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक दुकान संचालित की जा रही है, वहां उचित मूल्य दुकान खुलने के दिन संबंधित जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(4) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता ऐसी रीति में, ऐसी अद्यतन जानकारियां संधारित करेगा जैसा समय–समय पर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए।

(5) राज्य सरकार, ऐसी रीति में, उचित मूल्य दुकान के लिये एकमुश्त राशि या मार्जिन राशि अथवा दोनों सुनिश्चित करेगी जिससे उचित मूल्य दुकान को इस आदेश में अधिकथित नियमों के अनुसार सामान्य रुप से दुकान चलाने में हानि उपगत न हो।

(6) उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जा सकेगा। तथापि ऐसी कोई सामग्री विक्रय हेतु नहीं रखी जाएगी जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही हो।

(7) उचित मूल्य दुकान चलाने वाली कोई सहकारी सोसाइटी उस दुकान के किसी राशन कार्डधारक के सदस्यता आवेदन को निरस्त नहीं करेगी :

परंतु महिला सहकारी सोसाइटी होने की दशा में, आवेदक का महिला होना आवश्यक होगा।

(8) सभी उचित मूल्य की दुकान के सभी विक्रेता दुकान पर उनके नाम की पट्टिका के साथ एप्रिन पहनकर ही बैठेंगे।

11. वितरण.— (1) आवंटित संस्था द्वारा राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री उस मात्रा एवं अनुपात में तथा उस रीति से वितरण किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) उचित मूल्य दुकान से पात्र गृहस्थियों को, राज्य सरकार अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथा अवधारित दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया जाएगा।

(3) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण माह की प्रथम तारीख से प्रारम्भ करेगा :

परन्तु जब किसी कारणवश ऐसा करना संभव न हो तो विक्रेता उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति के सदस्यों को कारणों सहित वितरण प्रारंभ करने की तारीख संसूचित करेगा :

परंतु यह और कि राज्य सरकार द्वारा तकनीकी मापदंडों की अपेक्षाओं के लिए माह में तीन कार्य दिवस के लिए वितरण बंद किया जा सकेगा।

(4) आबंटिती संस्था और उसके पदाधिकारी उचित मूल्य दुकान को प्रदाय किए गए समस्त उपकरणों के समुचित रख–रखाव एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(5) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता वितरण के समय राशनकार्डधारी से उसकी पहचान हेतु राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेज या जीवमितीय (बायोमेट्रिक) की मांग कर सकेगा।

(6) यदि राशनकार्डधारक किसी विशिष्ट माह के दौरान उस मास की पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं करता है तो वह ऐसी शेष सामग्री अगले माह प्राप्त कर सकेगा। कार्डधारक उसकी निर्धारित पात्रता की सामग्री को एकमुश्त अथवा किश्तों में प्राप्त कर सकेगा।

(7) उचित मूल्य दुकानदार कोई ऐसी सामग्री का वितरण नहीं करेगा जिसकी गुणवत्ता भण्डारण अथवा अन्य किसी कारण से मानव उपयोग के लिए सुरक्षित न रह गई हो।

(8) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता उचित मूल्य दुकान में रजिस्ट्रीकृत किसी राशनकार्डधारी को राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित करने से इंकार नहीं करेगा।

(9) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता संबंधित राशनकार्डधारी/गृहस्थी के सदस्यों के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान नही करेगा:

परंतु यदि कोई कार्ड धारक और उसके गृहस्थी के सभी वयस्क सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के या निःशक्त है उसकी पात्रता का खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिया जा सकेगा। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता ऐसे समस्त संव्यवहार वितरण का पृथक से अभिलेख संधारित करेगा।

(10) उचित मूल्य दुकान का विक्रेता राशन कार्डधारी का राशनकार्ड या उसको विक्रीत की गई सामग्री उचित मूल्य दुकान के परिसर में नहीं रखेगा।

(11) उचित मूल्य दुकान/तेल कंपनी/थोक व्यापारी तथा उनका प्राधिकृत परिवहनकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन का परिवहन, भण्डारण या विक्रय नहीं करेगा ।

12. आबंटन, भंडारण तथा परिवहन.– (1) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली आवश्यक सामग्री का उचित मूल्य दुकानवार आबंटन पात्र गृहस्थियों/गृहस्थी के सदस्यों की संख्या एवं उनकी हकदारी की पात्रता के आधार पर आयुक्त द्वारा किया जाएगा। ऐसा आबंटन पूर्व के अवितरित आवश्यक सामग्री की मात्रा के समायोजन के द्वारा किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत एजेंसी निर्गम केन्द्र से संलग्न समस्त उचित मूल्य दुकानों के लिए अपेक्षित आवश्यक सामग्री की मात्रा अनुसार न्यूनतम एक माह (किरोसीन को छोडकर) का अग्रिम भण्डारण निर्गम केन्द्र पर सुनिश्चित करेगा।

(3) प्राधिकृत एजेंसी, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूर्ववर्ती माह की अंतिम तारीख तक प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर आवंटित आवश्यक सामग्री का प्रदाय करेगी।

13. प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण का रोका जाना.– (1) प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण को रोके जाने के उद्देश्य से, आबंटिती संस्था को ऐसे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना एवं उनका नियमित संधारण करना होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण होने वाले खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री के परिवहन, भण्डारण या वितरण के दौरान प्रतिस्थापन/व्यपवर्तन/अपमिश्रण नहीं करेगा।

14. निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण.– (1) जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों का तीन माह में एक बार तथा निर्गम केन्द्र/थोक डीलर का प्रत्येक माह में एक बार निरीक्षण करने हेतु कलक्टर द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा।

(2) निरीक्षण रोस्टर अनुसार निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निरीक्षण का प्रतिवेदन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित राज्य/जिला/विकासखण्ड/उचित मूल्य दुकान, स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियां, उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगी। ऐसे निरीक्षण में कोई अनियमितता पाए जाने पर संबंधित समिति द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

(4) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त सामग्री की मात्रा, वितरण एवं शेष की जानकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समयांतराल में

संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) उचित मूल्य दुकान के लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संधारित समस्त अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक दस्तावेज होंगे। उचित मूल्य दुकान का विक्रेता जहां संस्था द्वारा अन्य कोई नियुक्त न किया गया हो, अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी होगा तथा दुकान आबंटन अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा।

(6) आयुक्त लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आबंटन/उठाव एवं वितरण संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर नियमित रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसी जानकारी सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखी जाएगी।

(7) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराया जा सकेगा।

15. प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति.— (1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या सहकारिता विभाग के उप–अंकेक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर इस आदेश के तहत कार्य करने के लिये सक्षम होंगे।

(2) जब उपखण्ड (1) के अधीन ऐसे अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि इस आदेश या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश के उपबंधों का अतिक्रमण हो रहा है तो ऐसा अधिकारी, किसी भी उचित मूल्य दुकान अथवा अधिकृत एजेंसी के परिसर या वाहन या ऐसे किसी परिसर या वाहन जहां से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदाय की गई सामग्री का अवैध भण्डारण/परिवहन किया जा रहा है, में ऐसी सहायता के साथ जो कि आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा, और निरीक्षण या तलाशी ले सकेगा।

(3) यदि अधिकृत अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि वे आवश्यक वस्तुएं जो किसी केन्द्रीय या राज्य आदेश के उपबंध के उल्लंघन में या इस आदेश के उल्लंघन में संग्रहित की गई अथवा हटाई गई है, तो वह ऐसी आवश्यक वस्तुओं और उससे संबंधित उपकरणों, वाहन या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा।

(4) अधिकृत प्राधिकारी, अपनी जांच की निरन्तरता में जांच के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रतियां प्राप्त कर सकता है।

(5) अधिकृत एजेंसी/आबंटिती संस्था का प्रत्येक पदाधिकारी जांच हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के लिए लागू होंगे।

16. दण्ड एवं शास्ति.— (1) केन्द्रीय/राज्य आदेश के किसी उपबंध अथवा इस आदेश के उल्लंघन की दशा में उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार–पत्र को दुकान आबंटन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकेगा और प्रतिभूति की राशि पूर्णतः या अंशतः

समपहृत की जा सकेगी। ऐसे मामले में समपहृत राशि संबंधित संस्था के दोषी कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

(2) किसी व्यक्ति के द्वारा मासिक आबंटन की 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के संबंध में खण्ड 13 के अधीन उल्लंघन अथवा इसी खण्ड के अधीन उल्लंघन की पुनरावृत्ति की दशा में उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाएगी।

(3) किसी उचित मूल्य दुकान के निलंबन की दशा में उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी 10 दिवस की अवधि के भीतर संबंधित उचित मूल्य दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और यथासंभव तीन माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

(4) उचित मूल्य की दुकान आबंटन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए उसके कारण का उल्लेख करते हुए दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सकेगा :

परन्तु उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी अपील के अंतिम निराकरण तक किसी नई संस्था को उचित मूल्य की दुकान का आबंटन नहीं करेगा।

(5) दुकान आबंटन प्राधिकारी उचित मूल्य की दुकान के निलंबन/निरस्ती के दौरान ऐसी दुकान से संलग्न उपभोक्ताओं को सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसी निकटस्थ उचित मूल्य की दुकान से वैकल्पिक व्यवस्था करेगा:

परंतु किसी ग्रामीण क्षेत्र की किसी उचित मूल्य की दुकान को नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से अथवा किसी नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान को ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान में संलग्न नहीं किया जाएगा।

(6) यदि अधिकृत एजेंसी/उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा किसी आवश्यक सामग्री का किसी अपात्र व्यक्ति को प्रदाय अथवा वितरण किया जाता है तो उसका मूल्य जिम्मेदार विक्रेता/कर्मचारी/व्यक्ति से तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य या इकॉनामिक कॉस्ट (लागत मूल्य कम करने के पश्चात्) जो भी ज्यादा हो से वसूल किया जाएगा। ऐसी राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(7) दुकान आबंटन प्राधिकारी, उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को, दोषी पाये जाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के वितरण के दायित्वों से पृथक करने का लिखित में, आदेश संस्था को दे सकेगा। ऐसा आदेश संस्था पर बाध्यकारी होगा तथा ऐसे विक्रेता को किसी अन्य उचित मूल्य की दुकान पर विक्रेता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(8) किसी उचित मूल्य दुकान के संचालन में कोई अनियमितता पाए जाने पर यदि कलक्टर की राय में यह समीचीन हो तो सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रमुख/संस्था के विक्रेता/कर्मचारी के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही आरंभ की जा सकेगी।

(9) यदि आबंटिती सहकारी सोसाइटी के विरूद्ध संबंधित उपायुक्त–सह–उप पंजीयक/सहायक आयुक्त–सह–सहायक पंजीयक द्वारा इस आदेश या सहकारिता

अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कार्यवाही अनुध्यात की गई है, तो वह तत्काल लिखित में उचित मूल्य की दुकान आबंटन प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा।

17. अपील.— (1) उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति/सोसाइटी 30 दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी तथा अपील प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति/सोसाइटी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

(2) अपील प्राधिकारी, यदि लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता है तो वह अधीनस्थ प्राधिकारी के आदेश को अपील का निपटारा लंबित होने तक स्थगित कर सकेगा।

18. आवश्यक निर्देश देने की शक्ति.— आयुक्त, कलक्टर, दुकान आबंटन प्राधिकारी, अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के योजनाबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी कर सकेगें और उचित मूल्य की दुकान/सहकारी सोसाइटी/संस्था/निकाय/समूह/एजेंसी ऐसे निर्देशों का अनुसरण करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

19. राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति.— राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस आदेश के किसी या समस्त खण्डों के संबंध में लिखित में विशेष आदेश जारी कर सकेगी तथा इस आदेश के किसी उपबंध से छूट दे सकेगी।

20. निरसन तथा व्यावृत्ति.— मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन निरसित आदेश के अधीन पंजीकृत प्रकरणों एवं पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची एक

पात्र गृहस्थी

{ कण्डिका 3(1) देखिए }

1. अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार।
2. प्राथमिकता श्रेणी के परिवार ।

2.1 समस्त बीपीएल परिवार।

2.2 निम्नलिखित श्रेणियों के गैर–बीपीएल व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य : –

(क) व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।

(ग) शहरी क्षेत्रों में ''साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना'' एवं ''हाथ ठेला चालक कल्याण योजना'' में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साईकिल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।

(घ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।

(ङ) अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवासरत वृद्धजन।

(च) पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएँ।

(छ) पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।

(ज) वनाधिकार पट्टेधारी।

(झ) रेलवे में पंजीकृत कुली।

(ञ) मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।

(ट) बन्द पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक।

(ठ) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन परिचय–पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।

(ड) समस्त भूमिहीन कोटवार।

(ढ) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।

(ण) नगरीय निकायों के पंजीकृत केशशिल्पी तथा ग्रामीण क्षेत्र में केशशिल्पी।

(त) पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।

(थ) एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।

(द) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार टिप्पणी–4 को छोड़कर।

(ध) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार टिप्पणी–4 को छोड़कर।

(न) मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।

(प) वर्ष 2013–14 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

(फ) पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।

टिप्पणी–1. प्रवर्ग (ड.) के प्रत्येक हितग्राही के लिए संबंधित संस्था के पते के साथ जैसा कि कार्डधारकों के पते में लिखित है पृथक राशनकार्ड जारी किए जाएंगे। संस्था के नाम से कोई संयुक्त राशनकार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी–2 खण्ड (ड) की श्रेणी में ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रुप में उनके द्वारा (स्वयं के नाम पर) धारण की जाने वाली भूमि की गणना करने पर भूमिहीन की श्रेणी में आएंगे, वे सम्मिलित किए जाएंगे। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोटवारों की भूमि की गणना करते समय उनको प्रदान की गई सेवा भूमि को सम्मिलित न किया जाए।

टिप्पणी–3 उपरोक्त खण्ड (त) तथा (थ) में बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों तथा एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति सामान्यतः स्वयं परिवार के आश्रित सदस्य हैं, अतएव, इस प्रवर्ग के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों के प्राथमिक नातेदार अर्थात् माता–पिता, पति–पत्नि, बेटा–बेटी एवं अविवाहित सगे भाई–बहन भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यान्न आवंटन के लिए भी पात्र होंगे।

टिप्पणी–4 उपरोक्त खण्ड (द) तथा (ध) के प्रवर्ग के परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हैं या भारत–सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक या स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्था शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी के रुप में नियुक्त हैं ।

अनुसूची दो

{ कण्डिका 8(1) देखिए}

1. नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान का आबंटन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार/महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार/जिला थोक उपभोक्ता भंडार जो मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का सदस्य हो, विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित का सदस्य हो, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति/वृहताकार सेवा सहकारी समिति, जो जिला सहकारी केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध हो तथा महिला स्व सहायता समूह को किया जा सकेगा।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में, उचित मूल्य की दुकान का आबंटन प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/आदिम जाति सेवा सहकारी समिति/वृहताकार सेवा सहकारी समिति जो जिला सहकारी केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध हो, विपणन सहकारी समिति जो कि मध्यप्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ मर्यादित की सदस्य हो, संयुक्त वन प्रबंधन समिति/लघु वनोपज सहकारी समिति (दोनों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति को प्राथमिकता दी जाएगी) तथा महिला स्व–सहायता समूह को किया जा सकेगा।
3. ऐसी संस्था जिसका पंजीयन उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्व का न हो, उचित मूल्य दुकान के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगी।

प्ररुप 'क'

{ कण्डिका 8(3) देखिए }

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन
उचित मूल्य की दुकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक का पासपोर्ट आकार का फोटो

1. आवेदक संस्था का नाम ....
2. आवेदक संस्था का पंजीयन क्रमांक ....
3. आवेदक संस्था का कार्यक्षेत्र (वार्ड क्र./ग्राम का नाम) ....
4. आवेदक संस्था के कार्यालय का पता (पते का प्रमाण दो प्रतियों में संलग्न करें) ....

5. आवेदक संस्था के अध्यक्ष का नाम ....
पिता/पति का नाम ....
निवास का पता ....
दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
(फोटो परिचय पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

6. आवेदक संस्था के प्रबंधक का नाम ....
पिता/पति का नाम ....
निवास का पता ....
दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
(फोटो परिचय पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

7. आवेदक संस्था के दुकान/गोदाम का पता ....
(पते का प्रमाण दो प्रतियों में संलग्न करें) ....

8. आवेदक संस्था की दुकान/गोदाम– ....
स्वयं का है या किराए का :–
(कृपया स्वामित्व/पट्टा विलेख का प्रमाण दो की प्रतियों में संलग्न करें।)

9. आवेदक संस्था के बैंक का विवरण:–
बैंक का नाम..............................
शाखा का नाम ....
बैंक खाता क्रमांक..............................

10. संस्था की पूंजी –
(क) अंशपूंजी ....
(ख) कार्यशील पूंजी ....
(ग) वार्षिक टर्नओव्हर ....
(पूर्व वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे ....
व्यवसाय का स्वरूप एवं विवरण

12. संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक के विरूद्ध ....
कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तो
उसका विवरण दें।
(यदि लागू नहीं है तो शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

दिनांक ....

आवेदक संस्था के अध्यक्ष के
हस्ताक्षर , मुद्रा सहित

आवेदक संस्था के प्रबंधक के
हस्ताक्षर , मुद्रा सहित

प्रारूप 'ख'
{खण्ड 8 (6)}
मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकार—पत्र

अध्यक्ष / प्रबंधक का पासपोर्ट आकार का फोटो
विक्रेता की पासपोर्ट आकार की फोटो

प्राधिकार पत्र क्रमांक .... प्रतिभूति राशि का विवरण..............................
उचित मूल्य दुकान क्रमांक ....

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए एतद्द्वारा .... (संस्था का नाम) को जिसके अध्यक्ष श्री / श्रीमती / श्रीमती / कु. .... है, प्रबंधक श्री / श्रीमती / कु. .... है एवं विक्रेता श्री / श्रीमती / कु. .... को .... क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान क्रमांक .... को संचालन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत किया जाता है:—

1. सहकारी सोसायटी / संस्था (उचित मूल्य) दुकान का संचालन तथा आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थल के सिवाय अन्यत्र नहीं करेगी:
मकान क्रमांक .... वार्ड / ग्राम ....स्थान ....
थाना .... तहसील .... जिला ....

2. यदि उचित मूल्य दुकान से भिन्न स्थल पर दुकान संचालन अथवा भंडारण की अपरिहार्यता होती है, तो संस्था दुकान आबंटन प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे स्थान पर दुकान का संचालन अथवा भंडारण करेगी तथा तद्नुसार प्राधिकार पत्र में संशोधन कराएगी।

3. उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए दुकान के बाहर सहज गोचर स्थल पर 75 से.मी. X 150 से.मी. साईज का पीले रंग का बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सूचनाएं काले रंग के अक्षरों से वर्णित की जाएंगी।

.... 150 cm ....

मध्यप्रदेश शासन शासकीय उचित मूल्य की दुकान	
दुकान क्रमांक .... संस्था का नाम	
स्थान	75 cm
दुकान खुलने का समय ...... से........ बजे तक	
साप्ताहिक अवकाश का दिवस	
शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 181	
दुकानदार का नाम	

4. उचित मूल्य दुकान आबंटिती द्वारा उचित मूल्य दुकान में सहज गोचर स्थल पर एक काले रंग का 90 से.मी. X 120 से.मी. साईज का बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें सफेद रंग से अन्त्योदय अन्न योजना, प्राथमिकता परिवार श्रेणी के राशनकार्डों की संख्या, सदस्य संख्या, वितरण मात्रा, गेहूं–चावल अनुपात, आवश्यक वस्तुओं का प्रारंभिक स्टॉक, प्राप्त मात्राएं, विक्रय मूल्य अंकित किया जाएगा।

5. उचित मूल्य दुकान में किसी सहज गोचर स्थल पर निगरानी समिति के सदस्यों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे।

6. उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों के लिए पृथक–पृथक यूनिट/राशनकार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर, दस्तावेजी/इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित तथा संधारित किए जाएंगे।

7. उचित मूल्य दुकान आबंटिती द्वारा आवश्यक वस्तुओं की प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, वितरण एवं उसके पश्चात् अंतिम शेष की मासिक जानकारी दुकान आबंटन प्राधिकारी को राज्य शासन द्वारा प्रत्येक माह के लिए विनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करनी होगी।

8. उचित मूल्य दुकान आबंटिती द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार मांगे जाने पर विहित शुल्क प्रभारित कर उपलब्ध करानी होगी।

9. उचित मूल्य दुकान आबंटिती द्वारा दुकान से संलग्न राशनकार्डधारकों को राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा, खाद्यान्न अनुपात एवं मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय किया जाएगा।

10. उचित मूल्य दुकान आबंटिती अथवा अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा दुकान में वितरण हेतु प्रदत्त आवश्यक वस्तुओं का प्रतिस्थापन, अपमिश्रण एवं अपयोजन नहीं किया जाएगा।

11. संस्था/दुकानदार उचित मूल्य दुकान पर विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री को सदैव मानव उपभोग हेतु योग्य बनाए रखेगा।

12. उचित मूल्य दुकान आबंटन का प्राधिकार–पत्र दुकान में प्रमुख रुप से प्रदर्शित किया जाएगा।

13. उचित मूल्य दुकान आबंटिती वितरण रजिस्टर में कार्ड क्रमांक, सदस्य संख्या, मुखिया का नाम, वितरित वस्तुओं की मात्रा, प्रभारित कुल कीमत अंकित करेगा तथा उस पर कार्डधारी मुखिया अथवा परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर उस प्रविष्टि के समक्ष प्राप्त किए जाएंगे। वैकल्पिक रुप में ऐसी जानकारी इलेक्ट्रानिक रुप में रखी जाएगी।

14. उचित मूल्य दुकान आबंटिती द्वारा राशनकार्ड में वितरित वस्तुओं की मात्रा, प्रभारित कुल कीमत तथा प्रदाय का दिनांक प्रविष्ट कर हस्ताक्षर किया जाएगा। वैकल्पिक रुप में उपभोक्ता को मुद्रित रसीद दी जाएगी।

15. उचित मूल्य दुकान आबंटिती वे सभी अभिलेख अनुरक्षित करेगा जो आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएं।

16. उचित मूल्य दुकान से ऐसे राशनकार्डों को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जो दुकान के लिए अपंजीकृत/रद्द/अवैध/प्रतिषेध किया गया है।

17. उचित मूल्य दुकान आबंटिती दुकान को दी गई आवश्ययक वस्तुओं का सील्ड नमूना दुकान के बाहर निश्चित स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

18. उचित मूल्य दुकान आवंटिती राशनकार्ड एवं राशनकार्डधारी को बेची गई आवश्यक वस्तुओं को अपने कब्जे में अथवा दुकान के परिसर में नहीं रखेगा।

19. उचित मूल्य दुकान पर विगत तीन माह के वितरण पंजी, स्टाक पंजी एवं खरीदी के बिल वाऊचर जांच हेतु उपलब्ध रखे जाएंगे।

20. उचित मूल्य दुकान पर वस्तुओं की सही माप एवं तौल हेतु प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक कांटे, बांट एवं माप रखे जाएंगे।

21. उचित मूल्य दुकान आबंटिती राशनकार्डधारकों को कारोबार के घंटों के दौरान वस्तुएं देने से इंकार नहीं करेगा जबकि उसके पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार हो।

22. संबंधित नगरीय निकाय/जिला पंचायत द्वारा निर्धारित समय के अनुसार उचित मूल्य दुकानों को खोलने तथा बंद करने की कार्यवाही की जायेगी। उचित मूल्य की दुकान साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर न्यूनतम 6 घंटे प्रतिदिन खुली रहेगी।

23. उचित मूल्य दुकान आबंटिती द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम दिवस के पूर्व प्रचलित माह के वितरण के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्राप्त की जाएंगी।

24. उचित मूल्य दुकान आबंटिती उपभोक्ताओं को माह में उनकी मांग एवं हक के अनुसार किश्तों में आवश्यक वस्तुएं वितरित करेगा।

25. उचित मूल्य दुकान आबंटिती राशनकार्ड धारकों को सेवा देने की व्यवस्था करेगा जिससे ग्राहकों को कोई कठिनाई न हो।

26. उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता किसी भी आवश्यक वस्तुओं का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, का बिना राशनकार्डधारी व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा, परंतु वह अन्य वस्तुएं बेच सकेगा जो किसी अन्य प्रयोजन से भंडार में ली गई हैं किन्तु जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदाय की गई वस्तुएं नहीं हैं।

27. उचित मूल्य दुकान आबंटिती ऐसी वस्तुएं नहीं बेचेगा जिनकी तारीख समाप्त हो चुकी हैं, रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं या आबंटन प्राधिकारी अथवा प्रचलित किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित की गई हैं।

28. उचित मूल्य दुकान आबंटिती सक्षम अधिकारी को निरीक्षण के दौरान सहयोग करेगा और मांगे गए समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

29. मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 तथा राज्य सरकार, आयुक्त खाद्य, कलेक्टर अथवा दुकान आबंटन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन उचित मूल्य दुकान आबंटिती/संस्था द्वारा किया जाएगा।

स्थान ....

जारी करने का दिनांक .... उचित मूल्य दुकान आबंटन प्राधिकारी के

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

No. F 7-19/2014/29-1, Whereas the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to ensure availability of essential commodities at controlled price on Ration Cards issued to Eligible Households of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 read with section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in pursuance of S.O. 681 (E) and S.O. 682 (E) both dated 30th November, 1974 of Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) and GSR 800 dated 9th June, 1978 of Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), the State Government, hereby, makes the following order regulating the control of Targeted Public Distribution System in state of Madhya Pradesh.

ORDER

1. Short title, extent and commencement.-

(1) This order may be called the Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official gazette.

2. Definitions. –

(1) In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Adulteration**" means mixing of resembling commodities of inferior quality or other foreign matter with essential commodities meant for supply to beneficiaries under Targeted Public Distribution System;

(b) "**Allottee institution**" means the institution which has been allotted fair price shop for operation.

(c) "**Appellate Authority**" means the Collector of the concerned district;

(d) "**Authorised Agency**" means Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation which includes its officers/employees and transporters appointed by Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation along with their authorised employees who are engaged in transportation of food grains, sugar and salt etc. under Targeted Public Distribution System from the stocks of Food Corporation of India or Decentralized procurement to the issue centres of the State Government and then to the fair price shops.

In case of blue kerosene it means Oil Companies, wholesaler and their authorised transporters including their employees/ persons who are engaged in transportation of kerosene from Depot of Oil Companies to Fair Price Shops.

(e) **"Central Order"** means control order issued by Government of India, in this regard from time to time.

(f) **"Central Pool"** means storage of food grains, that -

(i) has been procured by the state government or its agency under minimum support price operation.

(ii) has been maintained and reserved by central or State Government to allocate under Targeted Public Distribution System, or other welfare schemes including disaster relief and such other schemes.

(g) **"Commissioner"** means Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Madhya Pradesh.

(h) **"Diversion"** means unauthorised distribution/ transportation of essential commodities issued from godown under Targeted Public Distribution System to persons / places other than specified;

(i) **"Fair Price Shop"** means shop which has been issued authority letter under this order to distribute essential commodities to ration card holders under Targeted Public Distribution System.

(j) **"Fair Price Shop Allotment Authority"** means District Supply Controller or District Supply Officer for urban area of the District headquarters and Sub-Divisional Officer (Revenue) of concerned Sub-Division for remaining areas of the district.

(k) **"Fair Price Shop Allotment Authority Letter"** means an authority letter issued by Fair Price Shop Allotment Authority in favour of an institution to operate fair price shop as per the provisions of this control order.

(l) **"Food Security Vigilance committee"** means a committee constituted under National Food Security Act, 2013 at state/district/block or Fair Price Shop level for supervising the execution of Targeted Public Distribution System.

(m) **"Head of the Household"** means a person defined in section 13 of National Food Security Act, 2013(No. 20 of 2013);

(n) **"Household"** means husband, wife, minor children and such other members who are dependent on head of the household for their livelihood, are living with head of the household and their food is also prepared in the head's kitchen;

(o) **"Licensee"** means a person/firm/society licensed for sale-purchase and storage of kerosene for sale to be distributed under Targeted Public Distribution System under Madhya Pradesh Kerosene Dealer (Licensing) Order, 1979.

(p) **"Issue Centre"** means such centre or godown operated by authorised agency where essential commodities are stored for issuance to fair price shops.

(q) **"National Food Security Act"** means National Food Security Act, 2013 published in Gazette of India on 10/09/2013.

(r) **"Ration Card"** means such a physical or electronic instrument issued to eligible households by order or under authority of State Government for the purpose of purchasing essential commodities from Fair Price Shops under Targeted Public Distribution System.

(s) **"Ration Card Authority"** means an officer authorised to issue, amend and to distribute ration cards within his/her jurisdiction.

(t) **"Social Audit"** means such a process by which public collectively monitors and evaluates a programme or scheme or its execution;

(u) **"Substitution"** means to substitute essential commodities issued from Issue Centre for distribution to beneficiaries under Targeted Public Distribution System with resembling commodities of inferior quality;

(v) **"Targeted Public Distribution System"** means a system devised for distribution of essential commodities to ration card holders through Fair Price Shops;

(w) **Urban Area"** means areas which fall under Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayat, Cantonment area and Special Area Development Authority.

(2) Words and expressions used but not defined in these order shall have the same meaning as assigned to them in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) respectively.

3. Eligible Household.-

(1) Households mentioned in schedule-I shall be eligible for receiving commodities under Targeted Public Distribution System.

(2) The State Government may amend Schedule-I from time to time by notification.

(3) Identification and verification of Eligible Households shall be made as per the procedure prescribed by the State Government.

4. Issuance of Ration Cards.-

(1) Assistant Supply Officer / Junior Supply Officer, who shall be the Ration Card Authority for the concerned area, shall issue ration cards to eligible households in physical or electronic form as determined by the State Government.

(2) Ration Card shall be issued to verified Eligible Households only.

(3) Ration Card shall be issued in the name of head of the household. The eldest woman in every eligible household who is not less than eighteen years of age shall be the head of the household for the purpose of issue of ration cards:

Provided that, where a household at any time does not have a woman or a woman of eighteen years of age or above, but has a female member below the age of eighteen years, then the eldest male member of the household shall be the head of the household for the purpose of issue of ration card and the female member, on attaining the age of eighteen years, shall become the head of the household for such ration cards in place of such male member.

(4) The name of the head of the household, name of the family members, their age and residential address shall be clearly mentioned in the ration card. Ration Card shall be attached to the fair price shop operating in the residing area of card holder:

Provided that the State Government may, by notification, attach the ration card with all the fair price shops operating in a particular area instead of attaching it to one particular fair price shop.

(5) Time limit for issuance of new ration cards or amendment in ration card shall be 15 days and for issuance of duplicate ration card it shall be 3 working days.

(6) New ration card holders or existing ration card holders with amendments in ration card shall be entitled to get food grains and other commodities from the succeeding month onwards.

(7) The State Government or its authorised agency, may prescribe fees for issuing ration card.

5. Validity, Amendment and Cancellation of Ration Card.-

(1) Ration Card shall remain valid until State Government declares it to be expired.

(2) Ration Card shall be cancelled in case it is surrendered by the ration card holder.

(3) Ration Card Authority, if it deems fit and necessary, after giving an opportunity to ration card holder to record his/her statement, may make corrections / amendments in ration card or if necessary, may cancel it. In all such cases, concerned person shall be under an obligation to produce ration card on demand.

(4) Ration Card shall not be used as an identity card.

(5) Ration Card issued under this order shall not be handed over to any other person by Eligible Household. Eligible Household itself shall be responsible for safety of the ration card.

6. Responsibility of Ration Card Holder.- No person shall-

(i) use more than one ration card;
(ii) furnish false details or information in the application prescribed for ration card;
(iii) either change/deface/delete any entry made in ration card deliberately by himself or allow any other person to do so.

7. Number and Location of Fair Price Shops-

(1) In order to ascertain the maximum number of Fair Price Shops in any urban area within the district, the total number of Eligible Households of that urban area shall be divided by 800. The number of Fair Price Shops shall not exceed this number in that urban area.

(2) There shall be one Fair Price Shop in each Panchayat in rural areas. An additional Fair Price Shop may be opened in any Panchayat, if number of eligible households exceeds 800.

Provided that, where an additional shop in a Panchayat is opened; the division of Eligible Households be such that the number of Eligible Households associated with the additional shop as far as possible will not be less than 400.

(3) The location of fair price shops shall be decided by respective urban body/Zila Panchayat.

8. Allotment of Fair Price shops-

(1) Fair Price Shop Allotment Authority shall not allot fair price shops to anyone except societies/groups mentioned in schedule –II:

Provided that, Fair price shops shall not be allotted by the competent authority to any such society/group which has been found guilty of violating clause 13 of this order:

Provided further that fair price shop may be allotted to such society/group in case guilty office bearers have been removed from such society/ group.

(2) A fair price shop shall be allotted for three years. Successive renewal for three years may be made on satisfactory working of the shop.

(3) Eligible Institutions, interested in operation of fair price shop shall apply to the Fair Price shop allotment authority prescribed in Form-A.

(4) No institution shall be eligible for allotment of a fair price shop beyond its operation area.

(5) Whenever received the applications from more than one eligible institution, for a fair price shop; The Fair Price Shop Allotment Authority shall subject to para 8 select the institution by lot following a transparent process.

(6) Fair Price Shop allotment Authority Letter shall be issued by Fair Price Shop Allotment Authority prescribed in Form-B.

(7) The amount of security deposit shall be Rs. 5000/- per shop in both urban and rural areas.

(8) When an application for amendment in entries made in Fair Price Shop Allotment Authority Letter, the Fair Price Shop Allotment Authority, after enquiry, as it deems fit, shall make changes in the register and the authority letter accordingly.

(9) A cooperative society/institution shall not be allotted more than one fair price shop in any urban area.

(10) Applicant society/institution desirous of getting fair price shop allotted must have an amount/credit limit sufficient to lift one month of allotment of commodities.

(11) Applicant society/institution must have sufficient space available for storage and distribution of commodities equivalent to one month's allotment.

9. Participation of women in operation of Fair Price Shops.-

(1) One-third of fair price shops in every urban area and in rural areas of a district shall, as far as possible, be allotted to women institutions. The salesperson in such Fair Price shops shall also be women.

Note: Such institutions shall be deemed as women institutions, of which all members and office bearers are women.

(2) The Fair Price Shop Allotment Authority shall allot the fair price shops to the women institution as per the instructions issued in this regard by the State Government within three months from the enforcement of this control order.

10. Operation of Fair Price Shop. -

(1) The allottee co-operative society/institution shall run the fair price shop itself.

(2) A salesperson whose minimum academic qualification shall be 12th pass shall be appointed for each fair price shop:

Provided that if 12th pass candidates are not available a person having minimum academic qualification of 10th pass may be appointed as salesperson in development blocks falling in the scheduled areas notified under schedule-5 of constitution of India. Allottee co-operative society may determine its norms for appointment of salesperson but minimum academic qualification shall not be less than 12th pass:

Provided further that allottee institution shall not appoint such person as salesperson who has been found guilty of violation of clause 13 by competent authority:

Provided also that in Panchayats having less than 400 Eligible Households, if a new shop is opened then it may be run by salesperson of nearby fair price shop jointly.

(3) The opening and closing time of fair price shop shall be determined by respective urban body/Zila Panchayat but Fair Price Shop shall remain open for minimum 6 hours daily except on Sundays and public holidays:

Provided that the days of opening of the fair price shop shall be determined by the concerned Janpad Panchayat in cases where one salesperson is operating more than one shop as mentioned in sub-clause (2).

(4) Salesperson of fair price shop shall maintain such updated information in such manner as is directed by Commissioner from time to time.

(5) The State Government shall ensure a lump sum amount or margin or both for fair price shop, in such a manner, that it should not incur loss in operating generally as per the directions given in this order.

(6) Fair Price shops may be made multipurpose. However no such commodities shall be sold from the fair price shop, which are being distributed under Targeted Public Distribution System.

(7) The cooperative society running a fair price shop shall not reject the membership application of a ration card holder attached to that shop:

Provided that, in case of women cooperative society, applicant should necessarily be a woman.

(8) All salespersons of fair price shop shall remain present wearing apron along with their name plate.

11. Distribution.-

(1) The allottee institution shall distribute food grains and other essential commodities to the ration card holder, in such quantity, ratio and in such manner as decided by the State Government.

(2) Food grains and other essential commodities shall be distributed to Eligible Households from fair price shop at such rates as determined by the State Government or its authorised officer.

(3) Salesperson of fair price shop shall start distribution of food grains and other commodities to ration card holders from first date of the month:

Provided that, when it is not possible to do so, salesperson shall inform the date of starting distribution with reasons for delay to the members of fair price shop level food security vigilance committee:

Provided further that, the distribution may be stopped for three working days in a month by the State Government for Technical Standards requirements.

(4) Allottee institution and its office bearers shall be responsible for proper maintenance and safety of all equipments supplied to fair price shops.

(5) Salesperson of fair price shop may demand documents specified by the State Government or biometrics from ration card holder at the time of distribution for his/her identification.

(6) If a ration card holder does not purchase commodities as per entitlement for a particular month, he/she shall be entitled to get it in succeeding month. Card holder may get its entitlements either lump sum or in instalments.

(7) Fair price shop owner shall not distribute any commodity which is not safe for human consumption due to poor storage or any other reason.

(8) Salesperson of fair price shop shall not refuse to distribute food grains and other commodities in such quantity and rate as specified by the State Government to any ration card holder registered in that fair price shop.

(9) Salesperson of fair price shop shall not give essential commodities to any person other than the ration card holder / members of household:

Provided that, if a card holder and all the adult members of her household are over 60 years or disabled, the food grains and other commodities thereof may be given to the person authorised by the card holder. Salesperson of fair price shop shall maintain separate record of all such transaction.

(10) Salesperson of fair price shop shall not keep ration cards or commodities sold in the premises of fair price shop.

(11) No person except fair price shop/ Oil Company / wholesaler and authorised transporter thereof, shall transport, store or sell blue kerosene for distribution under Targeted Public Distribution System.

12. Allocation, Storage and Transportation.-

(1) Fair price shopwise allocation of essential commodities, to be distributed under Targeted Public Distribution System, shall be made by the Commissioner on the basis of shopwise number of eligible households/household-members and entitlement thereof. Such allocation shall be made by adjusting the quantity of previously undistributed essential commodities.

(2) Authorised agency shall ensure that minimum one month requirement of essential commodities (except kerosene) for all fair price shops attached to an issue centre is stored in advance at that centre.

(3) Authorised Agency shall supply the allocated quantity of essential commodities each fair price shop by the end of preceding month in accordance with the procedure specified by the Commissioner.

13. Prevention of Substitution/ Diversion / Adulteration.-

(1) With a view to prevent replacement/ diversion / adulteration, allottee institution shall have to install such physical or electronic equipment and shall have to maintain them regularly as may be specified by the State Government from time to time.

(2) No person shall commit substitution/ diversion/ adulteration during transportation, storage or distribution of food grains and other essential commodities kept for distribution under Targeted Public Distribution System.

14. Inspection and Supervision.-

(1) The Collector shall prepare a roster for inspection of all fair price shops, issue centres and wholesalers of a district such that each shop is inspected once in three month and each issue centre / wholesaler once every month.

(2) It shall be mandatory for Inspection Officer to carry out inspections as per inspection roster. The report of every inspection shall be submitted as per the procedure specified by the Commissioner.

(3) State/ district / block / fair price shop level food security vigilance committees, constituted under the provision of National Food Security Act may inspect fair price shops in order to supervise implementation of Targeted Public Distribution System. In case of any irregularity found during such inspection, a report thereof, shall be submitted by respective committee before District Grievance Redressal officer, who shall ensure necessary action within 15 days from the submission of the report.

(4) Salesperson of a fair price shop shall communicate quantity received, distributed and balance in respect of commodities received under Targeted Public Distribution System to assistant/ junior Supply Officer of the respective area through physical / electronic medium at time intervals prescribed by the Commissioner.

(5) All records of fair price shops maintained for Targeted Public Distribution System shall be public document under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) Salesperson of fair price shops, where nobody else has been appointed by the institution, Public Information Officer and shop allotment authority shall be appellate officer under the said Act.

(6) Commissioner shall ensure regular display of information regarding allotment/lifting and distribution under Targeted Public Distribution System on departmental website. Such information shall be kept in public domain.

(7) Social audit of Targeted Public Distribution System shall be conducted in accordance with procedure specified by State Government.

15. Power to Enter, Search and Seizure.-

(1) Any officer not below the rank of junior supply officer of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department or any officer not below the rank of Naib Tehsildar of Revenue Department or any officer not below the rank of Sub-auditor of Co-operative Department within their respective jurisdiction shall be competent to act under this order.

(2) If such an authorised officer under sub- clause (1) has sufficient reasons to believe that provisions of any clause under this order or any other order issued by State / Central Government are being violated, such officer may enter, inspect or search any fair price shop or premise or vehicle of authorised agency or any such premise or vehicle from where unlawful storage / transportation of commodities, supplied under Targeted Public Distribution System is being done , with such assistance as is necessary.

(3) If the authorised officer has reasons to believe that essential commodities have been stocked or removed in violation of provision of any Central or State order or

violation of this order; he may seize such essential commodities and equipments, vehicles or documents related thereto.

(4) Authorised officer can obtain signed copies of required documents for furtherance of its investigation.

(5) Each office bearer of authorised agency/ allottee institution shall provide necessary support for the investigation.

(6) The provisions of section 100 of Criminal Procedure code, 1973 (2 of 1974) shall apply for entry, search and seizure.

16. Punishment and Penalty.-

(1) In case of contravention of any provision of Central / State order or this order, the fair price shop authority letter may be suspended or cancelled and security amount may be forfeited wholly or partially by shop allotment authority, In such case, forfeited amount shall be recoverable from guilty employee of concerning institution.

(2) In case of violation under clause 13 for quantity more than 10 percent of the monthly allocation or repetition of violation under the same clause, a person shall mandatorily be prosecuted under section 7 of Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955)

(3) In case of suspension of a fair price shop, the Fair price shop allotment authority shall issue show cause notice to the concerned fair price shop within 10 days and as far as possible, pass final order within three months.

(4) Fair price shop allotment authority, after giving reasonable opportunity to fair price shop to submit its representation in writing and following principle of natural justice, may cancel authority letter mentioning the reason thereof:

Provided that, Fair price shop allotment authority shall not allot that fair price shop to any new society/institution till the final disposal of the appeal.

(5) During suspension/ cancellation of a fair price shop, Fair price shop allotment authority shall make alternative arrangement from a nearby fair price shop to ensure distribution of commodities to card holders attached with such shop:

Provided that, a fair price shop of rural area shall not be attached with a fair price shop in urban area and vice-versa.

(6) If any essential commodity is diverted or distributed to any ineligible person by authorised agency / fair price shop owner, the price thereof shall be recovered, from responsible salesperson / employee/ person at the rate of prevailing market price or economic cost (after reducing cost price), whichever is higher. Such amount shall be recoverable as an arrear of land revenue.

(7) Shop allotment authority may order, in writing, to institution to remove the salesperson of fair price shop, if found guilty, from duties of distribution of commodities of Public Distribution System. Such order shall be binding on institution and the said salesperson shall not be appointed as salesperson in any other fair price shop.

(8) On finding an irregularity in operation of a fair price shop, if it is expedient in the opinion of the Collector, prosecution against chairman or head of the society / salesperson / employee of institution may be initiated.

(9) If any action has been contemplated under the provisions of this order or Co-operative Act against allottee Co-operative society by concerning Deputy Commissioner-cum- Sub Registrar / assistant Commissioner -cum- Assistant Registrar, he shall immediately inform the Fair price shop allotment authority in writing.

17. Appeal.-

(1) Any person/society aggrieved by order of fair price shop allotment authority may file an appeal within 30 days before appellate authority and decision of the appellate authority shall be final:

Provided that, appellate authority shall not pass any order without giving an opportunity of hearing to the aggrieved person / society.

(2) The appellate authority, if satisfied by reasons to be recorded in writing, may stay the order of subordinate authority, pending disposal of appeal.

18. Power to give necessary direction:-

The Commissioner, Collector, shop allotment authority may issue directions within their respective jurisdiction to ensure the planned distribution of essential commodities under the targeted public distribution system and the fair price shop/ co-operative society/ institution/ body/ group/agency are duty bound to follow such directions.

19. Power to State Government for exemption.-

The State Government, with a view to ensure effective implementation of the targeted public distribution system, may issue special orders in writing regarding any or all clauses of this order and may give exemption from any provision of this order.

20. Repeal and Saving.-

The Madhya Pradesh Public Distribution System Control Order, 2009, is hereby, repealed:

Provided that, the repeal shall not affect the cases registered under the repealed order and subsequent proceedings.

Schedule I
Eligible Households
{Clause 3(1)}

1. Antyoday Ann Yojana Households.
2. Priority Households.

2.1- All BPL households.

2.2-Non-BPL person of the following categories and household members dependent on them:-

(a) Persons who are registered labourers under Madhya Pradesh Building Construction and Related Workers Association, and household-members dependent on them.

(b) Persons of rural areas who are registered as landless agricultural labourers under "Mukhamantri Majdoor Suraksha Yojana" and household members dependent on them.

(c) Registered person under "Cycle Rikshaw Chalak Kalyan Yojana" and "Haath Thela Chalak Kalyan Yojana" in urban areas and registered cycle rikshaw/haath thela chalak in rural areas and members dependent on them.

(d) Registered beneficiaries of all Social Security Pension Scheme and household members dependent on them.

(e) Children residing in Orphanage or in destitute / handicapped hostels and old persons residing free of cost in old age homes.

(f) Registered Female domestic workers.

(g) Registered Hawkers (Street Vendors).

(h) Title holders under forest rights.

(i) Coolies registered in Railways.

(j) License holder Hammals and Tulavati in Mandi.

(k) Ex-Labourers employed in closed mills.

(l) Bidi workers holding identity card under Bidi Workers Welfare Fund Act 1972.

(m) All landless Kotwar.

(n) Weavers and Artisans registered with Cottage and Village Industry Department.

(o) Barbers registered with urban bodies and Barbers in rural areas.

(p) Registered persons with Multiple Deformity and Mental Retardation.

(q) HIV(AIDS) positive person (who are willing to take benefit under this scheme)

(r) All Scheduled Castes households living in Madhya Pradesh except Note 4.

(s) All Scheduled Tribes households living in Madhya Pradesh except Note 4.

(t) Households/members registered under fishing (fisherman) co-operative societies in Madhya Pradesh.

(u) Such affected households having their crops destroyed upto 50 percent or more by natural calamities during 2013-14.

(v) Registered Professional Vehicle Drivers / Conductors.

Note: 1. Separate ration card shall be issued for each beneficiary of category (e) with address of the concerned institution written as cardholder's address. No joint ration card shall be issued in the name of institution.

Note: 2. All such kotwars under the category of clause (m) who shall come under the category of landless on calculating the land to be held by them in their own names, shall be included. It is clarified that Seva Bhoomi given to them shall not be counted in their land holdings.

Note: 3. Multi handicapped and mentally retarded persons and HIV (AIDS) positive persons in clause (p) and (q) above are generally themselves dependent members of household. Therefore, primary relatives of registered person under this category i.e. Parents, husband-wife, son-daughter, and unmarried brother- sister shall also be eligible for food grains distribution under National Food Security Act, 2013(20 of 2013).

Note: 4. Households of category in clause (r) and (s) above excluding those households, heads or members whereof are income tax payee or appointed as officer/employee of first, second or third class in any office of Government of India or State Government/Semi-Government/public or autonomous undertaking including nationalised banks and co-operative societies.

Schedule II

{ clause 8(1)}

1. In urban areas, allotment of fair price shops shall be made to primary cooperative consumer store /Women primary cooperative consumer store /Zila wholesale Upbokta Bhandar which is a member of Madhya Pradesh State Cooperative Consumers Federation, marketing co-operative society that is member of Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation, primary agriculture credit co-operative society/ Aadim Jati Seva Sahkari Samiti/ Vrihattakar Seva Sahkari Samiti which is linked to District Central Cooperative Bank and women' self-help groups.
2. In rural areas, allotment of fair price shops shall be made to primary agriculture cooperative society/ Aadim Jati Seva Sahkari Samiti/ Vrihattakar Seva Sahkari Samiti which is linked to District Central Cooperative Bank, marketing cooperative society that is member of Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation, Joint Forest Management Society/ Minor Forest Produce Cooperative Society (Joint Forest Management Society shall be given the preference over the later) and women' self-help groups.
3. An institution which is registered for less than one year on the date of submission of application shall not be eligible for allotment of fair price shop.

Form 'A'
{Clause 8 (3)}

Passport size photo of chairperson / manager of institution

Application for allotment of fair price shop under Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order, 2015

1.	Name of applicant institution	:	....
2.	Registration Number of the applicant institution	:	....
3.	Jurisdiction of the applicant institution (Ward No./Village Name)	:	....
4.	Office address of the applicant institution (attach address proof in two copies	:	....
5.	Name of chairperson of applicant Institution	:	....
	Father's/ Husband's name	:	....
	Residential address	:	....
	Phone/ mobile number	:	....
	(attach attested photocopy of photo identity cards)		
6.	Name of manager of applicant institution	:	....
	Father's/ Husband's name	:	....
	Residential address	:	....
	Phone/ mobile number	:	....
	(attach attested photocopy of photo identity cards)		

7.	Address of shop / godown of applicant institution (Address proof in two copies to be submitted)	:	....
8.	Whether the shop/godown belongs to the Applicant Institution or Rent(Please attach proof of ownership/lease deed in two copies)	:	....
9.	Bank Details of applicant Institutions :-		
	Name of Bank	:	....
	Name of the Branch	:	....
	Bank account No.	:	....
10.	Institution's capital –		
	(a) Share capital	:	....
	(b) Working capital	:	....
	(c) Annual Turnover (Please attach audited report of the previous year)	:	....
11.	Nature and details of business currently being undertaken by the institution	:	....
12.	If criminal offence is registered against Chairperson / Manager of institution, submit details (if not applicable submit an affidavit)	:	....

Date ....

Signature of Chairperson of applicant institution with seal	Signature of Manager of applicant institution with seal

Passport size photo of Chairperson/ Manager
Passport size photo of sales person

Form 'B'

{Clause 8 (6)}

Fair price shop Allotment Authority-letter under Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order, 2015

Authority letter No .... Details of Security amount.......................

Fair Price Shop No ....

Subject to the provisions of Madhya Pradesh Public Distribution System (Control) Order, 2015, ... (Name of the Organization) whose chairperson is Mr/Mrs/Miss .... , Manager is Mr/Mrs/Miss .... and sales person is Mr/Mrs/Miss .... is hereby authorized for operation of fair price shop No. .... area .... under the following conditions: -

1. Co-operative Society / institution shall not operate fair price shop and shall not store essential commodities anywhere except the following location:

   House No. .... Ward/Village................. Location..................

   Police Station........................... Tehsil........................... District ....

2. If operation of shop or storage on a different location from the fair price shop is in sufficient, the institution shall conduct operation of the shop or storage at such place after obtaining prior permission from fair price shop allotment authority; and get the authority letter amended accordingly.

3. For operation of fair price shop, a yellow board of 75 cm× 150 cm size shall be displayed at conspicuous place outside the shop wherein the following information shall be mentioned in black letters:

.... 150 cm ....

मध्यप्रदेश शासन
शासकीय उचित मूल्य की दुकान
दुकान क्रमांक .... संस्था का नाम ....
स्थान ....
दुकान खुलने का समय ...... से........ बजे तक
साप्ताहिक अवकाश का दिवस ....
शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 181
दुकानदार का नाम ....

.... 75 cm ....

4. The fair price shop allotee shall display a black colour board size whereof is 90 cm ×120 cm at conspicuous place, in fair price shop wherein number of ration cards of Antyoday Ann Yojana, priority household category, number of members, distribution quantity, wheat-rice ratio, opening stock of essential commodities, receipt quantities, sale price shall be entered in white colour.

5. Names of the members of the vigilance committee shall be displayed at conspicuous place in fair price shop.

6. Separate unit / ration card register, stock register and distribution register for Antoday Ann Yojana and priority households, in proforma specified by the State Government shall be maintained documentarily/electronically and updated for operation of fair price shop.

7. Fair price shop allotee person shall have to submit monthly information of opening balance, receipt, distribution and closing balance of essential commodities before fair price shop allotment authority by the date of each month specified by the State Government.

8. Fair price shop allotee shall have to make available the records related to public distribution system on demand as per provisions of Right to Information Act, 2005, after charging prescribed fees.

9. Essential commodities shall be provided to ration card holders attached with shop by fair price shop allotee, as per quantity, foodgrain-ratio and price specified by the State Government.

10. The fair price shop allotee or any other office-bearer shall not replacement, adulterate and divert essential commodities supplied for distribution at shop.

11. Institution / shop allotee shall always keep commodities available for sale at fair price shop fit for human consumption.

12. Authority letter of fair price shop allotment shall be displayed prominently at the shop.

13. Fair price shop allotee shall enter card number, member's number, name of head of household, quantity of distributed commodities and total price charged in distribution-register and signature of head or household member of card holder shall be taken against that entry. Alternatively such information shall be kept in electronic form.

14. The entry of quantity of distributed commodities, total price charged, and date of delivery shall be made in ration card by fair price shop allotee with the signature. Alternatively a printed receipt shall be given to the consumer.

15. The fair price shop allotee shall maintain all such records as directed by the Commissioner.

16. Essential commodities shall not be distributed from fair price shops to unregistered / cancelled / illegal and prohibited ration cards for the shop.

17. The fair price shop sales person shall exhibit at a permanent place outside the shop sealed samples of the commodities supplied.

18. The fair price shop allotee shall not keep ration card or commodities of ration card holder sold thereto under his possession / in the premises of fair price shop.

19. Distribution register, stock register and bill-vouchers of purchase of last three months shall be kept available at fair price shops for examination.

20. Certified electronic balance, weights and measurements shall be maintained at fair price shop for correct measurements and weight of commodities.

21. The fair price shop allotee shall not refuse to provide commodities to the ration card holder during the business hours while he has enough stock of essential commodities.

22. The shop shall be opened and closed as per the opening and closing time determined by respective urban body/Zila Panchayat. The Fair Price Shop shall remain open for minimum 6 hours daily except on weekly and public holidays.

23. Essential commodities for distribution in every month shall be received by fair price shop allotee before first day of the every month.

24. The fair price shop allotee shall distribute essential commodities to the consumers in instalments as per their demand and entitlement in a month.

25. The fair price shop allotee shall make arrangements to give service to the ration card holders so that consumers do not have any difficulty.

26. The fair price shop allotee shall not sell any essential commodity to non-ration card holders that is provided through the Targeted Public Distribution System. Provided that he can sell other items that are stored in any other provision store but not the items supplied through the Targeted Public Distribution System.

27. The fair price shop allotee shall not sell such items which are of expired dates, not registered or have been banned by the Allotment Authority or any other law prevalent at that time.

28. The fair price shop allotee shall provide all assistance to a competent officer during inspection and provide all documents asked by such officer.

29. Madhya Pradesh Public Distribution System Control Order, 2015 and instructions issued from time to time, by the State Government, Commissioner, Food, Collector or Shop Allotment Authority shall be followed by fair price shop allotee / institution.

Place ....

Date of issue..............

Sign and seal of fair price shop
allotment authority

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.